



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 359]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 20, 2018/भाद्र 29, 1940

No. 359]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 20, 2018/BHADRA 29, 1940

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

अधिसूचना

नौएडा, 20 सितम्बर, 2018

सं. भाअजप्रा/पी आर-17/आईएफसी/(आईएनटीजी)/2015/खंड (IV).—भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 82) की धारा 17 के साथ पठित धारा 35 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (शुल्क एवं प्रभार उद्ग्रहण और संग्रहण) विनियम, 2011 में संशोधन करने के लिए प्राधिकरण, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों को भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (शुल्क एवं प्रभार उद्ग्रहण और संग्रहण) संशोधन विनियम, 2018 कहा जाएगा।
(2) यह विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।
2. भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (शुल्क एवं प्रभार उद्ग्रहण और संग्रहण) विनियम, 2011 (इसके पश्चात कथित विनियम के रूप में संदर्भित), खण्ड (ख), (ग) और (घ) के लिए विनियम 2 में निम्नलिखित खण्डों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
(ख) “प्राधिकरण” से भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अभिप्रेत है;
(ग) “शुल्क और प्रभारों” से राष्ट्रीय जलमार्गों के उपयोग हेतु और प्राधिकरण द्वारा सृजित अवसंरचना के उपयोग हेतु जलयान अथवा कार्गो स्वामियों को दी गई सेवा के लिए विनियम 4 में प्रदान किए जाने वाले ‘शुल्क और प्रभार’ अभिप्रेत हैं, और इसमें प्राधिकरण द्वारा विधिवत रूप से अधिकृत किसी प्रचालक द्वारा जलयान या कार्गो रवामियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए प्रभार शामिल हैं।
(गक) “प्रचालक” से अभिप्राय कम्पनी अधिनियम 2013 (2013 का 18) के तहत पंजीकृत किसी कम्पनी से है, जो अन्तर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए प्राधिकरण के साथ अनुबंधित है और इन विनियमों में विनिर्दिष्ट अपनी सेवाओं के लिए शुल्क और प्रभार का संग्रहण करने के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत है।
(घ) “अनुसूची” से इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

3. इन कथित विनियमों में, विनियम 3 में, प्रारंभिक भाग में, "प्राधिकरण को वर्गीकृत किया जाएगा", शब्दों के लिए, "प्राधिकरण या प्राधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से अधिकृत किसी प्रचालक द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, वर्गीकृत किया जाएगा", प्रतिस्थापित किया जाएगा।

4. इन कथित विनियमों में, विनियम 4 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"4. शुल्क और प्रभारों का भुगतान – प्रत्येक जलयान या कार्गो रवानी प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक या प्राधिकरण द्वारा विधिवत् रूप से अधिकृत किसी प्रचालक, जैसी भी स्थिति हो, को नीचे विनिर्दिष्ट शुल्क और प्रभारों का भुगतान करेगा:-

(क) सभी टर्मिनलों के लिए जलमार्ग उपयोग प्रभारों, जलयान संबंधित प्रभारों और संयुक्त प्रभारों से संबंधित शुल्क एवं प्रभार का भुगतान अनुसूची I में विनिर्दिष्ट अनुसार किया जाएगा।

(ख) जलमार्ग उपयोग प्रभारों, जलयान संबंधी प्रभारों और संयुक्त प्रभारों के अतिरिक्त शुल्कों का भुगतान :-

(i) कोलकाता के टर्मिनलों (गार्डन रीच जेटटी- I, गार्डन रीच जेटटी- II और ब्रिटिश इण्डियन स्टीमर नेवीगेशन जेटटी) और कालूदाट (जिला सारन) को छोड़कर सभी टर्मिनलों के लिए अनुसूची- II के अनुसार किया जाएगा।

(ii) कोलकाता में टर्मिनलों (गार्डन रीच जेटटी- I, गार्डन रीच जेटटी- II और ब्रिटिश इण्डियन स्टीमर नेवीगेशन जेटटी) और कालूदाट (जिला सारन) के लिए अनुसूची- III के अनुसार किया जाएगा।"

5. इन कथित विनियमों में, विनियम 5 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"5. लेखों का रखरखाव–प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक प्राधिकरण द्वारा प्राप्त अथवा प्राधिकरण द्वारा विधिवत् रूप से अधिकृत किसी प्रचालक से प्राप्त, जैसी भी स्थिति हो, शुल्क और प्रभारों का लेखा-जोखा रखेंगे।"

6. इन कथित विनियमों में, अनुसूची के लिए, निम्नलिखित अनुसूचियाँ प्रतिरक्षापित की जाएंगी, अर्थात् :-

अनुसूची I

[विनियम 4(क) देखें]

(सभी टर्मिनलों के लिए जलमार्ग उपयोग प्रभार, जलयान संबंधी प्रभार और संयुक्त प्रभार)

(I) जलमार्ग उपयोग प्रभार

क्र.सं.	सेवा का नाम	प्रभार (रुपयों में)
1.	कार्गो जलयानों का संचलन	0.02/- प्रति सकल पंजीकृत टनभार (जीआरटी) प्रति किलोमीटर, राष्ट्रीय जलमार्ग और भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के उपयोग के लिए।
2.	क्रूज जलयानों का संचलन	(i) राष्ट्रीय जलमार्ग और भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के पचास किलोमीटर की दूरी (एक तरफ की दूरी) तक के उपयोग हेतु कोई प्रभार नहीं। (ii) 0.05/- प्रति सकल पंजीकृत टनभार (जीआरटी) प्रति किलोमीटर, राष्ट्रीय जलमार्ग और भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के पचास किलोमीटर से अधिक की दूरी के उपयोग के हेतु।
3.	उपर्युक्त श्रेणियों के अतिरिक्त किसी अन्य जलयान का संचलन	0.02/- प्रति सकल पंजीकृत टनभार (जीआरटी) प्रति किलोमीटर, राष्ट्रीय जलमार्ग और भारतीय सीमा के भीतर भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के उपयोग के लिए।

(II) जलयान से सम्बद्ध प्रभार

क्र.सं.	सेवा का नाम	प्रभार (रुपयों में)
1.	बर्धिंग प्रभार	(i) 1000/- कोलकाता/हल्दिया के लिए चौबीस घण्टे अथवा उसके किसी भाग हेतु - प्रातः 6 बजे से अगले दिन प्रातः 6 बजे तक।

		(ii) 500/- पटना/गुवाहाटी और राष्ट्रीय जलमार्ग-3 के टर्मिनलों के लिए चौबीस घण्टे अथवा उसके किसी भाग हेतु — प्रातः 6 बजे से अगले दिन प्रातः 6 बजे तक। (iii) 100/- अस्थायी पांटूनों के लिए चौबीस घण्टे अथवा उसके किसी भाग हेतु — प्रातः 6 बजे से अगले दिन प्रातः 6 बजे तक।
2.	टोएज	विशेष अनुरोध पर वास्तविक लागत के अनुरूप।
3.	पायलटेज	750/- प्रतिदिन अथवा उसके किसी भाग के लिए प्रति पायलट।

(III) संयुक्त प्रभार

क्र.सं.	सेवा का नाम	प्रभार (रुपयों में)
1.	बहुत आकार के कार्गो का संचलन (ओडीसी)	1.50/- प्रति मीट्रिक टन प्रति किलोमीटर*

* ओडीसी प्रभारों का भुगतान करने वाले उपयोगकर्ता को जलमार्ग प्रभारों और जलयान से सम्बद्ध प्रभारों से मुक्त रखा जाएगा।

अनुसूची II

[विनियम 4 (ख) (i) देखें]

{अनुसूची III में विशेष रूप से उल्लिखित टर्मिनलों के अतिरिक्त अन्य टर्मिनलों के लिए शुल्क (जलमार्ग उपयोग प्रभारों, जलयान से सम्बद्ध प्रभारों और संयुक्त प्रभारों के अलावा)}

(I) कार्गो से सम्बद्ध प्रभार

क्र.सं.	सेवा का नाम	प्रभार (रुपयों में)
1.		टर्मिनल प्रभार
(i)	शुष्क कार्गो	1/- प्रति टन अथवा उसके किसी भाग के लिए
(ii)	तरल कार्गो	1/- प्रति टन अथवा उसके किसी भाग के लिए
(ii)	कंटेनर कार्गो	50/- प्रति बीस फुट समतुल्य यूनिट (टीईयू) के लिए एवं 75/- प्रति चालीस फुट समतुल्य यूनिट (एफईयू) के लिए
2.	पारगमन शेड प्रभार	(क) प्रथम सात दिनों के लिए निःशुल्क (ख) 5/- प्रति मीट्रिक टन (एमटी) प्रतिदिन अगले चौदह दिनों तक अथवा उसके किसी भाग के लिए। (ग) 10/- प्रति मीट्रिक टन (एमटी) प्रतिदिन अगले चौदह दिनों तक अथवा उसके किसी भाग के लिए। (घ) 40/- प्रति मीट्रिक टन (एमटी) प्रतिदिन अथवा उसके किसी भाग के लिए और उपर्युक्त पैंतीस दिनों के पश्चात अच्छादित क्षेत्र/पारगमन शेड/प्रांगण को खाली कराने एवं बकाया राशि वसूलने के लिए स्वामी की लागत और जोखिम पर प्राधिकरण बिना सूचना दिए कार्गो हटा देगा और निरतारण कर देगा। (प्रतिदिन— प्रातः 6 बजे से अगले दिन प्रातः 6 बजे तक)
3.	खुले स्थान पर भंडारण प्रभार	
(i)	हार्ड स्टैंड	(क) प्रथम सात दिनों के लिए निःशुल्क (ख) 2/- प्रति मीट्रिक टन (एमटी) प्रतिदिन अथवा उसके किसी भाग के लिए अगले चौदह दिनों तक (ग) 4/- प्रति मीट्रिक टन (एमटी) प्रतिदिन अगले चौदह दिनों तक अथवा उसके किसी भाग के लिए। (घ) 16/- प्रति मीट्रिक टन (एमटी) प्रतिदिन अथवा उसके किसी भाग के लिए और उपर्युक्त पैंतीस दिनों के पश्चात और हार्ड स्टैंड/प्रांगण को खाली कराने एवं बकाया राशि वसूलने के लिए स्वामी की लागत और जोखिम पर प्राधिकरण बिना सूचना दिए कार्गो हटाएगा और निरतारण कर देगा। (प्रतिदिन— प्रातः 6 बजे से अगले दिन प्रातः 6 बजे तक)

(ii)	खुले क्षेत्र में	(क) प्रथम सात दिनों के लिए निःशुल्क (ख) 1/- प्रति मीट्रिक टन (एमटी) प्रतिदिन अगले चौदह दिनों तक अथवा उसके किसी भाग के लिए। (ग) 2/- प्रति मीट्रिक टन (एमटी) प्रतिदिन अगले चौदह दिनों तक अथवा उसके किसी भाग के लिए। (घ) 8/- प्रति मीट्रिक टन (एमटी) प्रतिदिन अथवा उसके किसी भाग के लिए उपर्युक्त पैंतीस दिनों के पश्चात और खुले क्षेत्र/प्रांगण को खाली कराने एवं बकाया राशि वसूलने के लिए स्वामी की लागत और जोखिम पर प्राधिकरण बिना सूचना दिए कार्गो हटाएगा और निस्तारण कर देगा। (प्रतिदिन— प्रातः 6 बजे से अगले दिन प्रातः 6 बजे तक)
------	------------------	--

(II) विविध प्रभार

क्र.सं.	सेवा का नाम	प्रभार (रुपयों में)
1.	क्रेन (पांटून क्रेन सहित) भाड़ा प्रभार	800/- आठ घण्टे की प्रति पाली हेतु पाँच मीट्रिक टन तक की क्षमता की क्रेनों के लिए। 2000/- आठ घण्टे की प्रति पाली हेतु बीस मीट्रिक टन तक की क्षमता की क्रेनों के लिए। 2500/- आठ घण्टे की प्रति पाली हेतु बीस मीट्रिक टन से अधिक की क्षमता की क्रेनों के लिए।
2.	कंटेनर क्रेन	1100/- प्रति घण्टे अथवा उसके किसी भाग के लिए
3.	फोर्क लिफ्ट	600/- आठ घण्टे की प्रति पाली हेतु तीन मीट्रिक टन तक की क्षमता की फोर्क लिफ्ट के लिए।
4.	जलयान को विद्युत आपूर्ति	विद्युत बोर्ड/प्राधिकरण की वारस्तविक दरों के अनुरूप अधिभार सहित।
5.	ईंधन/पेट्रोलियम तेल ल्युब्रिकेन्ट्स की बंकरिंग	बाजार दर एवं अधिभार, परिवहन इत्यादि के अनुरूप
6.	जल आपूर्ति	300/- प्रति किलोलीटर
7.	मल निस्तारण	100/- प्रति किलोलीटर
8.	तौल माप	5/- प्रति मीट्रिक टन (एमटी) चूनतम 50/- तौल प्रमाण पत्र जारी करना: पच्चीस रुपए प्रति वाहन

अनुसूची III
 [विनियम 4 (ख) (ii) देखें]

{कोलकाता के टर्मिनलों (गार्डन रीच जेट्टी-I गार्डन रीच जेट्टी-II और ब्रिटिश इण्डियन रेलीमर नेवीगेशन जेट्टी) और
 कालूघाट (जिला सारन) के लिए शुल्क (जलमार्ग उपयोग प्रभारों, जलयान से सम्बद्ध प्रभारों और संयुक्त प्रभारों के अलावा)}

(III) कार्गो से सम्बद्ध प्रभार

क्र.सं.	सेवा का नाम	प्रभार (रुपयों में)
1.		टर्मिनल प्रभार
(i)	शुष्क कार्गो	21/- प्रति टन अथवा उसके किसी भाग के लिए

(ii)	तरल कार्गो	21/- प्रति टन अथवा उसके किसी भाग के लिए
(iii)	कंटेनर कार्गो	420/- प्रति बीस फुट समतुल्य यूनिट (टीईयू) के लिए एवं 800/- प्रति चालीस फुट समतुल्य यूनिट (एफईयू) के लिए
2. हैंडलिंग प्रभार—ब्रेक बल्क कार्गो (निर्यात और आयात)		
(क)		बैग कार्गो
(i)	जहाज से तट और उसके विपरीत जी आर टी क्रेन का उपयोग करने पर निर्वहन प्रभार	160/- प्रति मीट्रिक टन (एमटी) अथवा उसके किसी भाग के लिए
(ii)	जेटटी से भण्डारण यार्ड/वेयर हाउस तक और इसके विपरीत संचलन	50/- प्रति मीट्रिक टन (एटी) अथवा उसके किसी भाग के लिए
(ख)		लकड़ी के बक्से या डिक्के में कार्गो
(i)	जहाज से तट और उसके विपरीत जी आर टी क्रेन का उपयोग करने पर निर्वहन प्रभार	250/- प्रति मीट्रिक टन (एमटी) अथवा घन मीटर (सीबीएम), जो भी अधिक हो।
(ii)	जेटटी से भण्डारण यार्ड/वेयर हाउस तक और इसके विपरीत संचलन	80/- प्रति मीट्रिक टन (एमटी) अथवा घन मीटर (सीबीएम), जो भी अधिक हो।
(ग)		लोहा और इस्पात
(i)	जहाज से तट और उसके विपरीत जी आर टी क्रेन का उपयोग करने पर निर्वहन प्रभार	300/- प्रति मीट्रिक टन (एमटी) अथवा उसके किसी भाग के लिए
(ii)	जेटटी से भण्डारण यार्ड/वेयर हाउस तक और इसके विपरीत संचलन	100/- प्रति मीट्रिक टन (एमटी) अथवा उसके किसी भाग के लिए
3. ट्रक लदाई/उत्तराई प्रभार		
(i)	ट्रक लदाई/उत्तराई	50/- प्रति मीट्रिक टन (एमटी) अथवा घन मीटर (सीबीएम)
4. भण्डारण		
(i)	वेयरहाउस	(क) प्रथम तीन दिनों के लिए निःशुल्क (ख) 15/- प्रति मीट्रिक टन (एमटी) अथवा घन मीटर अथवा उसके किसी भाग के लिए अगले बारह दिनों तक। (ग) 27/- प्रति मीट्रिक टन (एमटी) अथवा घन मीटर (सीबीएम) अथवा उसके किसी भाग के लिए और अगले पन्द्रह दिनों तक। (घ) 54/- प्रति मीट्रिक टन (एमटी) घन मीटर (सीबीएम) प्रतिदिन अथवा उसके किसी भाग के लिए तीस दिन पश्चात।
(ii)	खुला यार्ड	(क) प्रथम तीन दिनों के लिए निःशुल्क (ख) 12/- प्रति मीट्रिक टन (एमटी) अथवा घन मीटर (सीबीएम) प्रतिदिन अथवा उसके किसी भाग के लिए अगले बारह दिनों तक। (ग) 22/- प्रति मीट्रिक टन (एमटी) अथवा घन मीटर (सीबीएम) प्रतिदिन अथवा उसके किसी भाग के लिए अगले पन्द्रह दिनों तक। (घ) 44/- प्रति मीट्रिक टन (एमटी) घन मीटर (सीबीएम) प्रतिदिन अथवा उसके किसी भाग के लिए तीस दिन पश्चात।
5. बल्क कार्गो के लिए हैंडलिंग प्रभार (निर्यात और आयात)		
(क)		स्टोन चिप्स
(i)	यांत्रिक साधनों द्वारा जलयान पर लदाई/उत्तराई, यार्ड अथवा ट्रक के लिए संचलन और ट्रक पर/से लदाई/उत्तराई के लिए संयुक्त प्रभार	170/- प्रतिटन
(ख)	फलाई ऐए	
(i)	वायवीय माध्यमों से जलयान पर लदाई/उत्तराई, यार्ड अथवा ट्रक के लिए संचलन और ट्रक पर/से लदाई/उत्तराई के लिए संयुक्त प्रभार	45/- प्रति मीट्रिक टन (एमटी)
6. कंटेनर टर्मिनल सेवा		
(क)	भरे हुए कंटेनर, लदाई अथवा निर्वहन	4500/- प्रति बीस फुट समतुल्य यूनिट (टीईयू) कंटेनर, 6000/- प्रति चालीस फुट समतुल्य यूनिट (एफईयू) कंटेनर और 6800/- प्रति चालीस फुट समतुल्य उच्च घन यूनिट कंटेनर

(ख)	खाली कंटेनर, लदाई अथवा निर्वहन	1800/- प्रति बीस फुट समतुल्य यूनिट (टीईयू) कंटेनर, 2200/- प्रति चालीस फुट समतुल्य यूनिट (एफईयू) कंटेनर और 2500/- प्रति चालीस फुट समतुल्य उच्च घन यूनिट कंटेनर
(ग)	जेट्टी से जीआरटी भण्डारण यार्ड और स्टेकिंग तक अथवा इसके विपरीत कंटेनर परिवहन	850/- प्रति बीस फुट समतुल्य यूनिट (टीईयू) कंटेनर, 1000/- प्रति चालीस फुट समतुल्य यूनिट (एफईयू) कंटेनर और 1200/- प्रति चालीस फुट समतुल्य उच्च घन यूनिट कंटेनर

7. कंटेनर-निर्यात

(क)	जी आर टी भण्डारण यार्ड से खाली कंटेनर का उठाना, भराई की व्यवस्था, ट्रक से कार्गो प्राप्ति, सीमा शुल्क परीक्षण, कंटेनर में भराई और भरे हुए कंटेनर का जीआरटी जेट्टी तक परिवहन	5500/- प्रति बीस फुट समतुल्य यूनिट (टीईयू) कंटेनर, 11000/- प्रति चालीस फुट समतुल्य यूनिट (एफईयू) कंटेनर और 13000/- प्रति चालीस फुट समतुल्य उच्च घन यूनिट कंटेनर
(ख)	लिफ्ट ऑन/लिफ्ट ऑफ*	700/- प्रति बीस फुट समतुल्य यूनिट (टीईयू) कंटेनर, 1300/- प्रति चालीस फुट समतुल्य यूनिट (एफईयू) कंटेनर और 1300/- प्रति चालीस फुट समतुल्य उच्च घन यूनिट कंटेनर

45 फुट कंटेनर के लिए शुल्क, एफईयू कंटेनर के लिए शुल्क से 1.25 गुना अधिक होगा और जमीन किराया एफईयू कंटेनर के लिए किराए का दो गुना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित उस दिन की विनिमय दर, मुद्रा रूपांतरण के लिए लागू की जाएगी।

* निर्यातकों द्वारा अनुरोध किए जाने पर किसी भी अतिरिक्त संचलन के लिए।

लेडन कंटेनर

(ग)	लेडन कंटेनर के निर्यात का भंडारण	(क) प्रथम तीन दिनों के लिए निःशुल्क (ख) 6 (अमेरिकी डॉलर में रूपए के बराबर) प्रति टीईयू अगले छह दिनों के लिए (ग) 12 (अमेरिकी डॉलर में रूपए के बराबर) प्रति टीईयू अगले छह दिनों के लिए (घ) 24 (अमेरिकी डॉलर में रूपए के बराबर) प्रति टीईयू अगले छह दिनों के लिए (ङ) 48 (अमेरिकी डॉलर में रूपए के बराबर) प्रति टीईयू प्रतिदिन उपर्युक्त 21 दिन बाद
-----	----------------------------------	---

45 फुट कंटेनर के लिए शुल्क, एफईयू कंटेनर के लिए शुल्क से 1.25 गुना अधिक होगा और जमीन किराया एफईयू कंटेनर के लिए किराए का दो गुना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित उस दिन की विनिमय दर, मुद्रा रूपांतरण के लिए लागू की जाएगी।

कंटेनर आयात

(क)	यार्ड खाली करने के लिए जीआरटी भंडारण यार्ड से लेडन कंटेनर हटाना, सीमा-शुल्क परीक्षण, कंटेनर को खाली करना और खाली यार्ड से जीआरटी खाली यार्ड तक खाली कंटेनर का परिवहन	5500/- प्रति बीस फुट समतुल्य यूनिट (टी ई यू) कंटेनर, 11000/- प्रति चालीस फुट समतुल्य यूनिट (एफ ई यू) कंटेनर और 13000/- प्रति चालीस फुट समतुल्य उच्च घन यूनिट कंटेनर
(ख)	लेडन कंटेनर के आयात का भंडारण	क. प्रथम तीन दिनों के लिए निःशुल्क ख. 6 (रूपए में अमेरिकी डॉलर के बराबर) प्रति टीईयू अगले छह दिनों के लिए ग. 12 (रूपए में अमेरिकी डॉलर के बराबर) प्रति टीईयू अगले छह दिनों के लिए घ. 24 (रूपए में अमेरिकी डॉलर के बराबर) प्रति टीईयू अगले छह दिनों के लिए ङ. 48 (रूपए में अमेरिकी डॉलर के बराबर) प्रति टीईयू प्रतिदिन 21 दिन बाद

45 फुट कंटेनर के लिए शुल्क, एफईयू कंटेनर के लिए शुल्क से 1.25 गुना अधिक होगा और जमीन किराया एफईयू कंटेनर के लिए किराए का दो गुना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित उस दिन की विनिमय दर, मुद्रा रूपांतरण के लिए लागू की जाएगी।

कंटेनर - खाली कंटेनर

(क)	लिफ्ट ऑन/लिफ्ट ऑफ	350/- प्रति बीस फुट समतुल्य यूनिट (टी ई यू) कंटेनर, 550/- प्रति चालीस फुट समतुल्य यूनिट (एफ ई यू) कंटेनर और 550/- प्रति चालीस
-----	-------------------	---

(ख)	जमीन किराया	फुट समतुल्य उच्च घन यूनिट कंटेनर 70/- प्रति बीस फुट समतुल्य यूनिट (टी ई यू) कंटेनर, 140/- प्रति चालीस फुट समतुल्य यूनिट (एफ ई यू) कंटेनर और 140/- प्रति चालीस फुट समतुल्य उच्च घन यूनिट कंटेनर
45 फुट कंटेनर के लिए शाल्क, एफईयू कंटेनर के लिए शुल्क से 1.25 गुना अधिक होगा और जमीन किराया एफईयू कंटेनर के लिए किराए का दो गुना होगा।		
कंटेनर—परिवहन		
45 फुट कंटेनर के लिए शाल्क, एफईयू कंटेनर के लिए शुल्क से 1.25 गुना अधिक होगा और जमीन किराया एफईयू कंटेनर के लिए किराए का दो गुना होगा।		
10.		कंटेनर—रीफर कंटेनर
(क)	लेडन और खाली कंटेनर का आवागमन, जीआरटी से एनएसडी/केपीटी तक लाना—ले जाना	1500/- प्रति बीस फुट समतुल्य यूनिट (टीईयू) कंटेनर, 2500/- प्रति चालीस फुट समतुल्य यूनिट (एफईयू) कंटेनर और 2500/- प्रति चालीस फुट समतुल्य उच्च घन यूनिट कंटेनर
11.		कंटेनर—रीफर कंटेनर
(क)	कंटेनर पावर प्लग	750/- प्रति बीस फुट समतुल्य यूनिट (टीईयू) कंटेनर और 1500/- प्रति चालीस फुट समतुल्य यूनिट (एफईयू) कंटेनर, 8 घण्टे या उसके किसी भाग के लिए
(ख)	बिजली की निगरानी	750/- 8 घण्टे या उसके किसी भाग के लिए

(II) विविध प्रभार

क्र.सं.	सेवा का नाम	प्रभार (रुपयों में)
1.	जलयान को विद्युत आपूर्ति	विद्युत बोर्ड/प्राधिकरण की वास्तविक दरों के अनुरूप अधिभार सहित
2.	ईंधन/पेट्रोलियम तेल ल्युब्रिकेंट्स का बंकरिंग	बाजार दर एवं अधिभार के अनुसार
3.	जल आपूर्ति	500/- प्रति किलोलीटर
4.	तौल माप	15/- प्रति मीट्रिक टन (एमटी) (न्यूनतम 500/-) तौल प्रमाण पत्र जारी करना : 50/- प्रति वाहन
5.	भारमान	400/- प्रति बीस फुट समतुल्य यूनिट (टीईयू) कंटेनर और 600/- प्रति चालीस फुट समतुल्य यूनिट (एफईयू) कंटेनर
6.	सत्यापित सकल द्रव्यमान	1000/- प्रति कंटेनर
7.	मूरिंग और सहायक कार्य	4000/- 8 घण्टे अथवा उसके किसी भाग के लिए
8.	बर्थिंग और अनबर्थिंग सहायता सेवाएं (प्रति बर्थ/जलयात्रा)	2000/-
9.	रो—रो के लिए बर्थिंग और अनबर्थिंग सहायता सेवाएं (प्रति बर्थ/जलयात्रा)	1500/-
10.	सील काटने/सील फिक्सिंग हेतु प्रभार	100— प्रति कंटेनर
11.	भरे हुए कंटेनर का सर्वेक्षण प्रभार	300/- प्रति बीस फुट समतुल्य यूनिट (टीईयू) कंटेनर, 600/- प्रति चालीस फुट समतुल्य यूनिट (एफईयू) कंटेनर
12.	कार्गो सर्वेक्षण प्रभार	300/- प्रति बीस फुट समतुल्य यूनिट (टीईयू) कंटेनर और 500/- प्रति चालीस फुट समतुल्य यूनिट (एफईयू) कंटेनर

13.	कंटेनर प्रविष्टि	150/- प्रति बीस फुट समतुल्य यूनिट (टीईयू) कंटेनर और 300/- प्रति चालीस फुट समतुल्य यूनिट (एफईयू) कंटेनर
14.	फैले हुए कार्गो की सफाई	150— प्रति कंटेनर
15.	बैगिंग प्रभार (थोक माल के मामले में पीपी बैग में)	13— प्रति किलोग्राम
16.	बहुविध पोत बिल के मामले में सीमा—शुल्क मूल्यांकन प्रभार	750/- प्रति पोत बिल /प्रविष्टि का बिल
17.	भरे हुए कंटेनर का आंतरिक स्थानांतरण	700/- प्रति बीस फुट समतुल्य यूनिट (टीईयू) कंटेनर और 1225/- प्रति चालीस फुट समतुल्य यूनिट (एफईयू) कंटेनर
18.	ट्रक प्रविष्टि	50/-
19.	ट्रक का वनज	200/- प्रति ट्रक
20.	रो—रो ट्रक के लिए टर्मिनल प्रभार	150/- खाली ट्रक के लिए 200/- 12 टन तक 300/- 12 टन से अधिक
21.	ट्रक पार्किंग	100— प्रति घण्टा रो—रो जलयान के माध्यम से टर्मिनल पर आने वाले ट्रक का आवागमन निःशुल्क होगा

(III) छूट

इस अनुसूची में शामिल टर्मिनलों के प्रचालक निर्धारित दर में कोई छूट दे सकते हैं। हालांकि छूट की वह राशि केवल प्रचालक के राजस्व हिस्से से होगी और ऐसी छूटों के कारण प्राधिकरण का राजस्व हिस्सा प्रभावित नहीं होगा।

[विज्ञापन—III / 4 / असा. / 235 / 18]
अजय कुमार गुप्ता, सचिव

टिप्पणी: भारत के राजपत्र में दिनांक 16 जुलाई, 2011 को संख्या आइडल्यूएआई/कार्गो/184/2009 के अंतर्गत प्रकाशित भारतीय अन्दर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (शुल्क एवं प्रभार उद्ग्रहण और संग्रहण) विनियम, 2011 प्रमुख विनियम हैं।